दक्षिण भारत
राष्ट्रमत

Friday, January 21st, 2011

येड्डीयुरप्पा के बचाव में उतरे वकील

कर्नाटक की राजनीति में गरम रहा गुरुवार

राज्यपाल ने कहा, याचिका पर निर्णय दो दिन में

● कार्यालय संवाददाता

बेंगलूर। कर्नाटक की राजनीति में गुरुवार गरम रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे खिलाफ आस्तीनें चढ़ाए रहे। विपक्ष ने यहां वकील न्याय मंच की याचिका को लेकर राज्यपाल पर मुख्यमंत्री बी एस येड्डीयुरप्पा और गृहमंत्री आर अशोक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए दवाब बनाया वहीं लोकतांत्रिक अधिवक्ता मंच के बैनर तले बेंगलूर के वकील सड़क पर उतर आए और राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले तथा मांग की मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई शिकायत खारिज की जाए। कर्नाटक की राजनीति में दिन भर हमले और बचाव का दौर चलता रहा। राज्यपाल ने गुरुवार को यह कह कर माहौल को और गरमा दिया कि दो दिन में वकील न्याय मंच की याचिका पर निर्णय लेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में दिए गए बयान के बाद से ही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। इसी जंग के चलते राजभवन पर प्रदर्शन करते हुए वकीलों ने कहा कि राज्यपाल न्यायाधीश नहीं हैं। राजभवन से राजनीति बरदाश्त नहीं की जाएगी।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक का राजभवन दिल्ली के 10 जनपथ (सोनिया गांधी का आवास) जैसा काम कर रहा है। इस अवसर पर एक सभा भी हुई जिसे कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राजभवन का दुरुपयोग कर रही है। उल्लेखनीय है कि कल राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल से कहा गया था कि वे मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ कार्यवाही न करें। इस बैठक से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में भाजपा आलाकमान से भी मिले थे। इस बीच कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री बीएस येड्डीयुरप्पा पर अभियोजन दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने वाली याचिका पर वह दो दिन के भीतर निर्णय लेंगे।

कर्नाटक की राजनीति पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि घोटालों में मुख्यमंत्री के लिप्त होने के आरोप संबंधी अभिलेख अभी तक उन्हें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को भूमि घोटाले संबंधी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि थी।

कानून मंत्री सुरेश कुमार द्वारा मुकद्मा दर्ज करने की मांग पर राज्यपाल ने कह कि वह 26 जनवरी के बाद इस पर कुछ निर्णय देंगे। उन्होंने कहा कि इसके अंतिम तिथि करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, इस मुद्दे पर दो माह से चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि वह सरकार की क्रियान्वयन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लोगों द्वारा उनके पास भेजे गए याचिका की जांच करना उनका अधिकार है। भाजपा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'। जब उनसे पूछा गया कि उनके द्वारा अभियोजन दर्ज करने के लिए वकीलों को अनुमति प्रदान किए जाने के विरोध में भाजपा रांजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी, तो उन्होंने कहा कि यह सब राजनीति का एक हिस्सा है और वे (राज्यपाल) इससे नहीं डरते।

भारद्वाज ने वर्तमान राजनीति के विषय में कहा कि वर्तमान राजनीति खतरनाक,कष्टदायक एवं मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। उन्होंने समुदाय से कहा कि वे राजनीति के विषय में कम बातें करे तथा अपने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें। अपने भाषण में राज्यपाल ने कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों शिक्षा, राजनीति तथा अकादमिक में किए गए विकास कार्यों पर बल दिया तथा कहा कि राज्य भारत में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। राज्यपाल ने वर्तमान समय में राजनीति में जाति का इस्तेमाल किए जाने पर ध्यान दिलाते हुए नेताओं से आग्रह किया कि नेताओं को बासवन्ना जैसे संतों का अनुसरण करें जिन्होंने समाज में सर्व धर्म समाज एवं जातिरहित समाज निर्माण की शिक्षा दी।

उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुखों से मिलने और मठों के भ्रमण के अनुभव के बारे में बताया कि वे राज्य में राजनीति को लेकर इस तरह के रवैये को अपनाए जाने से चकित हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक आज देश में शिक्षा का अग्रणी केन्द्र बन गया है और इसकी तुलना बोस्टन और हार्वर्ड विवि से की जा रही है। पुस्तक में प्रो.शास्त्री द्वारा पिछले दो दशकों की चर्चा की गई है।